06.10.2022 वादी मय वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते जरिये राजीनामा के वाद डिक्री करने हेतु पेश किया, जिस पर दोनो पक्षों को सुना।

राजीनामा के आधार पर वादपत्र के तथ्यो के सन्दर्भ में वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 799 कुल रकबा 14.19 बीधा भूमि अवस्थित थी, जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का है। कि प्रतिवादी सं. 1 ने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 18.06.2009 को वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से 9 की पूर्वज भंवरकंवर पत्नि हड़मतसिंह को कर दिया, कि बेचान दस्तावेज की प्रति तत्समय पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु दी गई, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:19:59 IST
Reason: SelfAttested

82/2021

टालमटोल करते हुए बेचान पत्र के आधार पर वादीगण का 1/2 हिस्से की भूमि का अमलदरामद नहीं किया तथा बाद में प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी उक्त जोत का सहमति से बंटवाड़ा करवा लिया जो रेकर्ड के अवलोकन से वादी गण को ज्ञात हुआ है, उक्त भूमि आज भी वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में बेचान पत्र अनुसार प्रविष्टि न होकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम अलग से पूर्ववत दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये बेचान पत्र की प्रति के आधार पर राजीनामा को मद्देनजर रखते हुए वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में घोषित करते हुए तद्नुसार डिक्री जारी की जावे।

वादी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत दलील के समर्थन में प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र के स्वीकारोक्ति प्रदत्त करते हुए अवगत कराया कि ग्राम भूंका वगतसिंह से नवसृजित ग्राम लोहिड़ी के मूल खसरा नम्बर 799 से जरिये बंटवाड़ा के नये कायम खसरा नम्बर 799/1 जो कि पूर्व में बैचान किया गया था। उक्त बैचान पत्र सही एवं स्वीकार होने से उसके स्थान पर वादीगण की खातेदारी घोषित की जाये।

हमने राजीनामा के प्रकरण में पर दोनों पक्षों की दलील पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत बैचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 ईशराराम द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि ग्राम भूकां वगतसिंह वर्तमान नवसृजित ग्राम लोहिड़ी के खसरा नम्बर 799 में अपनी 1/2 हिस्से की कृषि जोत का बैचान प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से 8 की पूर्वज भंवरकंवर पत्नि हड़मतसिंह को कर दिया। चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी लोकभावना से प्रेरित होकर किये गये राजीनामा किये जाने तथा राजीनामा व वादीगण द्वारा चाही गई प्रस्तावित समान प्रवृति की होने से जरिये बैचान के वादीगण को प्रतिवादी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में उनके नाम का अमलदरामद किये जाने में कोई विसंगति नहीं होना प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जरिये राजीनामा के डिक्री जारी किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद पक्षकारान के राजीनामा की लोकभावना को मध्यनजर स्वीकार करते हुए विवादित भूमि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

लोहिड़ी के खसरा नम्बर 799/1 रकबा 7.09 बीघा अर्थात 1.2054 हैक्ट भूमि में दर्ज प्रविष्टि प्रतिवादी सं. 1 ईशराराम को हटाते हुए, उसके स्थान वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा, वादी सं. 2 से 4 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व वादी सं. 5 से 8 प्रत्येक का 1/32 हिस्सा करार देते हुए उनकी खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टि बदस्तुर यथावत रहेगी। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06-10-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:19:59 IST
Reason: SelfAttested